

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. 50 / 2025

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
<p>क्र. 6-25</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p>28.5.25</p>	<p>पत्रावली भेजा दुर्ब। अधिवक्ता वारी उपस्थित। पूर्वोक्त की घालना में पत्रावली दिनांक 21/7/2025 को भेजा हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थना द्वारा प्रार्थना पत्र थायत पत्रावली तब परमाते भेजा करने पर पत्रावली साज की फेली में ली गयी। प्रार्थना द्वारा प्रार्थना पत्र इन साज का भेजा किया गया कि वारीया/प्रार्थना अपने प्रार्थना पत्र बागे जेही चलाता पाहती मत: पत्रावली विज्ञा करने की अनुमति प्रदान करावे। प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत विज्ञा प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र सन्तर्गत धारा 212 R.T.A सरिज किया गया। पत्रावली कोसल कुमार हेकर नंबर से काम होकर दोखिय दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>